



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2007/भाद्र 14, 1929

No. 397]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2007/BHADRA 14, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 575(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ 1—77 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), दिनांक 7-6-2005 [खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियमावली, 2005] और भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि-पत्र संख्या सा.का.नि. 706(अ), दिनांक 6-12-2005, सा.का.नि. 131(अ), दिनांक 3-3-2006 और सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 5-9-2006 के साथ पठनीय,—

“(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे सिवाय नियम 2 के उप-नियम (ii) के खंड (क), खंड (च) के मद संख्या क.11.02.06, क.11.02.06.01, क.11.02.06.02, खंड (छ) के मद संख्या क.11.02.07, क.11.02.07.01, क.11.02.07.02, क.11.02.08 और खंड (ड) तथा परिशिष्ट ‘ग’ की सारणी-14 और परिशिष्ट ‘घ’ की सारणी-3 में उनसे संबंधित प्रविष्टियां, जो तीन वर्ष और तीन माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।”

[सं. पी. 15014/7/2002-पी. एच. (एफ)]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th September, 2007

G.S.R. 575(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 356(E), dated 7th June, 2005, [Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 2005] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1—77 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum G.S.R. 706(E), dated 6th December, 2005, G.S.R. 131(E), dated 3rd March, 2006 and G.S.R. 532(E) dated 5th September, 2006 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 44, sub-rule (2) of Rule 1, shall read as follow,—

“(2) They shall come into force after nine months except clause (a), item No. A.11.02.06, A.11.02.06.01, A.11.02.06.02, of clause (f), items No. A.11.02.07, A.11.02.07.01, A.11.02.07.02, A.11.02.08 of clause (g) and clause (m) of sub-rule (ii) of rule 2 and entries relating thereto in Table 14 of Appendix-C and Table 3 of Appendix-D, which shall come into force after three years and three months from the date of their publication in the Official Gazette.”

[No. P. 15014/7/2002-P. H. (Food)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.